संख्या- 27/2019/346/59-2-2019-31(खा)/2009

प्रेषक,

सुरेश चन्द्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 15 मई, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (एस.सी.एस.पी.) हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक-414/खा.ग्रा.बो./मुमंग्रारोयो/पत्रा सं.49/2019-20, दिनांक 29 अप्रैल, 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत नई /स्थापित इकाईयों की स्थापना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 125.00 लाख (रूपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति (संलग्न फॉट के अनुसार) व्यय करने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का जनपदवार विवरण संलग्नक में अंकित किया गया हैं उसी के अनुसार धनराशि का आहरण जनपद स्तर पर किया जायेगा।

3- धनराशि को एकमुश्त आहरित करके पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा। केवल तात्कालिक आवश्यकता होने पर नियमानुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति होने के उपरान्त राजकोष से धनराशि का आहरण किया जायेगा।

4- जिला ग्रामोद्योग अधिकारी इस सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लेंगे कि ब्याज सब्सिडी की धनराशि सिर्फ उन्ही उद्यमियों को स्वीकृत ऋण के सापेक्ष देय होगी जो योजना की पात्रता की शर्ते पूरी तरह से पूर्ण करते हो तथा जिनके ऋण आवेदन पत्र जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिला ग्रामोद्योग अधिकारी का होगा।

यदि यह पाया जाता है कि किसी अपात्र उद्यमी को योजना का लाभ प्राप्त हुआ है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी का होगा।

5- सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी आहरण/वितरण अधिकारी होंगे। वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी0सी0।। दिनांक 29-05-2012 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार धनराशि का भुगतान नगद व चेक के माध्यम से न करके सीधे लाभार्थी के खाते मे NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि व्यय उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र आहरण अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर उपरान्त उपलब्ध कराया जायेगा।

7- योजनान्तर्गत धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृत की जायेगी-

(1) उ0प्र0 के ग्रामीण क्षेत्र के 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार नवयुवकों, परम्परागत कारीगरों एवं शिल्पियों को अधिकतम रू0 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

व्यक्तिगत/साझेदारी इकाईयों को राष्ट्रीयकृत/ग्रामीण बैकों (प्राइवेट बैकों को छोडकर) से वित्त पोषित कराया जायेगा। आई0टी0आई0, पालीटेक्निक संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार नवयुवकों को योजना में प्राथमिकता दी जायेगी।

(2) वित्तीय वर्ष 2019-20 से मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत सभी लाभार्थियों को टर्म लोन (पूंजीगत ऋण) पर ही 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष घटाते हुए 5 वर्ष तक ही ब्याज उपादान का भुगतान किया जाय।

(3) वित्तीय वर्ष 2019-20 से पूर्व जो स्वीकृतियॉ बैंकों द्वारा की गई हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में भी ब्याज उपादान का भुगतान अवशेष टर्म लोन (पूंजीगत ऋण) पर ही वर्तमान निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाय। लाभार्थियों को पूर्व में भुगतानित धनराशि को वापस नही लिया जायेगा।

(4) कैश क्रेडिट लिमिट अथवा कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज उपादान की धनराशि देय नही होगी।

(5) आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों (अनुसूचित जाति, के पुरूष व महिलाओं) को योजना के अन्तर्गत देय ब्याज की पूर्ण धनराशि ब्याज उपादान के रूप में राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वहन की जायेगी।

(6) कुल स्वीकृत धनराशि का 1-1-1 प्रतिशत क्रमश- जागरूकता शिविर, प्रचार प्रसार, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिए प्राविधानित होगा जिसका उपयोग सम्बन्धित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी/प्रबन्धक ग्रामोद्योग द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार किया जायेगा।

(7) स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नाबार्ड से अनुमोदित प्रोजेक्ट तैयार कराकर नियमानुसार खादी बोर्ड द्वारा उद्यमियों का चयन करने के उपरान्त राष्ट्रीयकृत/ग्रामीण बैकों से ऋण स्वीकृत कराया जायेगा।

(8) राष्ट्रीयकृत/ग्रामीण बैकों द्वारा ऋण स्वीकृत कराने के उपरान्त इकाईयों के सफलतापूर्वक कार्य करने एवं उसके सदुपयोग करने के उपरान्त ही ब्याज की धनराशि अनुमन्य होगी, जिसका भुगतान सीधे उद्यमियों के बैंक खाते में सम्बन्धित बैक की मांग के अनुसार किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद के लिये किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमियता होगी, जिसके लिये प्रशासनिक विभाग उत्तरदायी होंगे।

(10) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत धनराशि से अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा।

(11) सम्बन्धित उद्यमियों द्वारा कार्य बन्द करने एवं धन का दुरूपयोग करते पाये जाने पर व्याज उपादान की धनराशि का भुगतान रोक दिया जायेगा तथा जो धनराशि भुगतान की जा चुकी है, उसकी वसूली बैंक द्वारा तत्काल उद्यमियों से नियमानुसार कर ली जायेगी।

(12) योजना का प्रचार-प्रसार प्रादेशिक समाचारों के साथ रेडियों/दूरदर्शन से मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ द्वारा नियमित रूप से कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(14) स्वीकृत की गयी धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित प्रतिबन्धों / शर्तो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र सं0- बी0एम0-8 समाज कल्याण व वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा।

8- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष "2851-ग्राम तथा लद्यु उद्योग-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-06-मुख्यंमत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना-0601-बेरोजगार नवयुवकों/परम्परागत कारीगरों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अनुदान-27-सब्सिडी" के नामें डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण की शासनादेश संख्या-07/26-ब0प्र0-2015, दिनांक 27 मार्च, 2015 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- 27/2019/346(1)/59-2-2019-31(खा)/2009 तददिनांकित</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ।
4- निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5- सम्बन्धित परिक्षेत्रीय/संयुक्त/उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ।
6- सम्बन्धित जनपदों के प्रबन्धक (ग्रामोद्योग) जिला ग्रामोद्योग अधिकारी।
7- सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, जो योजनान्र्गत आहरण एवं वितरण अधिकारी होगें।
8- सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी।
9- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/ औद्योगिक विकास अनुभाग-2
11- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा परीक्षा विभाग उ0प्र0 इलाहाबाद
12- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
13- बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
14- एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 27/2019/346/59-2-2019-31(खा)/2009, दिनांक 15 मई, 2019 का संलग्नक-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 (एस.सी.एस.पी.) में प्राविधानित धनराशि रू0 125.00 लाख (रूपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की जनपदवार फांट:-

क्र0सं0	जनपद का नाम	कुल प्राविधानित धनराशि (लाख रु0 में)
1	2	3
1	आगरा	2.50
2	फिरोजाबाद	1.00
3	मथुरा	1.00
4	मैनपुरी	2.50
5	अलीगढ़	1.00
6	एटा	0.50
7	कासगंज	1.50
8	प्रयागराज	2.00
9	प्रतापगढ़	2.00
10	फतेहपुर	2.00
11	कौशाम्बी	3.00
12	आजमगढ़	0.50
13	बलिया	2.00
14	मऊ	3.00
15	बरेली	1.00
16	बदायूँ	0.50
17	पीलीभीत	2.00
18	शॉहजहॉपुर	0.50
19	बॉदा	2.00
20	चित्रकूट	0.50
21	महोबा	0.50
22	गोण्डा	0.75
23	बलरामपुर	1.00
24	अयोध्या	2.00
25	बाराबंकी	2.00
26	अम्बेडकर नगर	3.00
27	सुल्तानपुर	3.00
28	अमेठी	2.00
29	गोरखपुर	1.00
30	देवरिया	2.00
31	कुशीनगर	1.50
32	बस्ती	2.00
33	सन्तकबीर नगर	2.00
34	सिद्धार्थ नगर	3.55
35	झॉसी	2.50
36	जालौन	2.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

37	ललितपुर	1.50
38	कानपुर नगर	1.00
39	कानपुर देहात	0.50
40	औरैया	1.50
41	इटावा	1.00
42	कन्नौज	1.00
43	फरूर्खाबाद	0.50
44	लखनऊ	5.00
45	उन्नाव	2.00
46	सीतापुर	2.50
47	रायबरेली	3.00
48	लखीमपुर खीरी	2.50
49	हरदोई	3.00
50	मेरठ	2.50
51	बुलन्दशहर	2.50
52	गाजियाबाद	1.00
53	हापुड़	0.50
54	गौतमबुद्ध नगर	0.50
55	सहारनपुर	3.00
56	मुजफ्फर नगर	1.00
57	शामली	0.50
58	मुरादाबाद	0.50
59	रामपुर	2.00
60	बिजनौर	1.50
61	जे0पी0नगर	1.50
62	संभल	2.50
63	वाराणसी	0.70
64	जौनपुर	2.50
65	गाजीपुर	2.00
66	चंदौली	2.50
67	मिर्जापुर	3.50
68	सोनभद्र	4.00
69	सन्तरविदासनगर	3.00
महायोग		**125.00**
		(रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र)

(सुरेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in